

पत्रांक 3089 / 13सी.

दिनांक 22/11/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग, वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.61 है. वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/74/2017/एफ.सी./1579 दिनांक 31-10-2018, आपका पत्रांक 2303/12-1 दिनांक 31-10-2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1466/13सी. दिनांक 18-06-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2960/13सी. दिनांक 02-11-2022 द्वारा पूर्व में उपवन संरक्षक केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित की गई, किन्तु स्वीकृत समरंखण में कुछ क्षेत्र आपके वन प्रभाग से सम्बन्धित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रेषित की जा रही है:-

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.22 है. ग्राम-जाल तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि के बदले खण्ड द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु चालान जनरेट होने के उपरान्त रु 897302.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रशीद Date 31-03-2019 सलंगन है।) व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या 3853/छब्बीस-18/ 2018-19 दिनांक 11-06-2019 द्वारा 3.220 है. सिविल सोयम भूमि ग्राम-जालतल्ला में वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (आदेश की प्रति सलंगन है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा N.P.V. की धनराशि रु 4237650.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 88 पर संलग्न है। (पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित हैं)



4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा की गई सभी निधियों (CA cast, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गये चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	खण्ड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोण, वृक्षों का रख-रखाव व एन.पी.वी. का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग व गोपेश्वर से आकलन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है। खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान रु 5134952.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु आनलाईन प्राप्त पावती रशीद सलंगन है।)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस आशय का वचन बद्धता का प्रमाण-पत्र सलंगन कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।  
 संलग्न:-1- एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र 3 सत्यापित छायाप्रतियों में।  
 2-मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र 3 सत्यापित छायाप्रतियों में।  
 3-एन.पी.वी. भुगतान की रशीद एवं Mutation आदेश 3-3 सत्यापित छायाप्रतियों में।

पत्रांक 3089 / 13सी.

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(इं. मनोज कुमार भट्ट)  
 अधिशासी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,  
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

दिनांक 22/11 / 2022

अधिशासी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,  
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।



पत्रांक 3403 / 13सी.

दिनांक 20/12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
केदारनाथ, वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु  
1.61 है० वनभूमि का लो.नि.वि. को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक 2550/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 14-11-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के पक्ष में किये गये अमलदरामद से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रति एवं शर्त संख्या-5 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र सलंगन कर प्रेषित है।

सलंगन:-1. Mutation आदेश एवं अमलदरामद  
से सम्बन्धित अभिलेख 4-4 प्रतियों में।

2. प्रमाण-पत्र 4 प्रतियों में।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

(इं. मनोज कुमार भट्ट)  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

*Red stamp*  
20.12.22



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 2550 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 14 (11) 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,  
ऊखीमठ।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2960 / 13 सी0 दिनांक 02-11-2022

महोदय,  
उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 ख में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के पक्ष में किये गये नामान्तरण हस्तान्तरण से सम्बन्धित खसरा खतौनी की प्रति संलग्न नहीं है तथा शर्त संख्या 6 के अनुपालन में इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित का जानी थी कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। उक्त प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 3 ख एवं शर्त संख्या 6 के अनुपालन में उक्त अभिलेख / प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

वन-श.भे. सह.प्र.उ.

16/12  
12.12.22



सूचना क्रम	रकबत मा कोविज का नाम, पिटुनाज तथा निवाले स्थान	मुद्रात काबत या कल्ला	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुद्वी	नाम लोक	रि
२	३	४	५	६	७	८ - २०
३	श्रेणी - ई(३) (ख) २		जिसमे अन्य प्रकार के वृक्ष व शण्डियों का समूह हो-	१ १४१ = चणनाक २६ ६२१ = चणनाक ६९ ९१११ = चणनाक		
<p><b>आदेश:-</b></p> <p>मु० आ० श्रीगान जिलाधिकारी भद्रपुर के आदेश सं० ३८५३/६०बीस-१८/२०१८-१९ दिनांक रुद्रपुर भाग जून ११-२०१९ के द्वारा ग्राम जाल तल्ला के ज० वि० २० ख० खा० सं० ७ के खसरा नम्बर १०४४ ख० खा० ११०९४३ है मध्ये ३.२२० है० श्रीमिजाल केण्ड से चिलोण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैरवाणीकी कार्रवाई हेतु उप वनसंरक्षक रुद्रपुर भाग वन प्रभाग रुद्रपुर के नाम क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित होने पर अमल दरागव किया।</p> <p>२०३० नि० उलीमठ ३०/११/१९</p>						
			१०६७ २१२१ = बेडुला १०६७ १०८८ = बेडुला १०२३ २०१११ = भगवाड़ी			
योग-		१८	१०६६११६			

P.L. Attested



Assistant Engineer  
Const. Div. P.W.D  
Ulamath (Rudrapur)

नोट - नकल ज० वि० २० ख० खा० जसल से तैयार की गयी है।

राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र... कालीमठ  
तहसील...

Elimsu  
२०३० नि०



:: आ दे श ::


अधिशाली अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० ऊखीमठ द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अर्न्तगत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यो हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या-०८बी०/यू०सी०पी०/०६/७४/२०१७/एफ०सी०/१५७९ दिनांक ३१-१०-२०१८ के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार ऊखीमठ ने पत्रांक-६९७/जाल बैण्ड-चिलौण्ड मोटर मार्ग-२०का०/२०१८-१९ दिनांक २२ मई २०१९ से अवगत कराया है कि, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अर्न्तगत राजस्व ग्राम जालतल्ला की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या-०७ के खसरा नं०- १०४४ रक्वा ११.९४३ हे० मध्ये ३.२२० हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है तथा चयनित भूमि के नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर-वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या-२१७३/XVIII(II)/२०१२-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-०२ दिनांक १७ दिसम्बर, २०१२ में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार तहसीलदार ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अर्न्तगत राजस्व ग्राम जालतल्ला की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या-०७ के खसरा नं०-१०४४ रक्वा ११.९४३ हे० मध्ये ३.२२० हे० चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दृष्ट-  
( मंगेश घिल्डियाल )  
जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।

Ameen  
P.E.E.



कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- ३८५३ / छब्बीस-१८ / २०१८-१९ दिनांक: रुद्रप्रयाग: जून ११, २०१९.

- प्रतिलिपि-
- १- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फौरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
  - २- सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग-०२ उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
  - ३- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-०४ उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
  - ४- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - ५- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
  - ६- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
  - ७- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
  - ८- अधिशाली अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० ऊखीमठ।

P.C. Attested

Assistant Engineer  
Const.Div. P.W.D  
Ukhimath (Rudrapur)


जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।




परियोजना का नाम:- जनपद-स्त्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव होगा वहाँ रिक्त पडें स्थानों पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
ऊखीमठ

  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
ऊखीमठ




परियोजना का नाम:- जनपद-स्त्रप्रयाग के अन्तर्गत जालबैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.61 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव होगा वहाँ रिक्त पडें स्थानों पर वन विभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
ऊख्रीमठ



अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
ऊख्रीमठ



498

AGENCY COPY  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date : 23-03-2019

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6122249757
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/74/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, Rudraprayag
Amount(in Rs)	5134952/-

Amount in Words : Fifty-One Lakh Thirty-Four Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896122249757 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

31 MAR 2019

Executive Engineer  
Const. Div. P.W.D  
Ukhimath (Rudraprayag)

After making successful payment, User Agencies/mas  
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

SBIT 11909061 4480

clearance.nic.in/UserAccount/Nefl\_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD222492016757

P.C. Attested

Assistant Engineer  
Const. Div. P.W.D  
Ukhimath (Rudraprayag)

com

वन

नांक

पेत

को  
ति



प्रपत्र-51

**परियोजना का नाम-** जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो(नि)वि को हस्तान्तरण।

**एन.पी.वी. की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र**


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन.पी.वी. की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन.पी.वी. की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)




अभिभाषी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

वन  
नांक  
पित  
को  
प्रति  
वर।  
कि  
क्त  
वर।  
हेत



परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नब निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000



*[Signature]*  
अमीन  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

*[Signature]*  
कविल अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

*[Signature]*  
राजस्व उप निरीक्षक  
कालीमठ

*[Signature]*  
तहसीलदार  
ऊखीमठ  
वनपद रुद्रप्रयाग

*[Signature]*  
उपजिलाधिकारी  
ऊखीमठ

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरक्षण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एवं नाला	

*[Signature]*  
वन क्षेत्राधिकारी  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग  
गोपेश्वर

*[Signature]*  
उप-प्रभागीय वनधिकारी  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग  
गोपेश्वर (चमोली)

*[Signature]*  
अधियासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

*[Signature]*  
प्रभागीय वनधिकारी  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग  
गोपेश्वर

*[Signature]*  
उप-प्रभागीय वनधिकारी  
रुद्रप्रयाग

*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग

*[Signature]*  
उप-वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन्यजीव प्रभाग  
रुद्रप्रयाग







